

राजस्थान सरकार
राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक प. 4(1)स्टे.मो.गै./2005 पार्ट-3105

जयपुर, दिनांक : 07.06.2025

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.03.2024 की निरन्तरता में बिन्दु संख्या 7 व 8 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

7. पूर्व में प्रदान की जाने वाली राशि 4000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह किया जाता है।

8. उक्त वाहन/परिवहन भत्ता (टीपी) भत्ता की बढ़ी हुई राशि दिनांक 01.01.2021 से प्रभावी होगी।

शेष बिन्दु आदेश दिनांक 13.03.2024 के अनुसार यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 212500287 दिनांक 05.05.2025 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रकाश रावत)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 4 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 6 प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
- 7 संयुक्त सचिव, (एस.एन.) मुख्यमंत्री।
- 8 समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 9 रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
- 10 अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
- 11 उप शासन सचिव, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग।
- 12 नियन्त्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर।
- 13 रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Prakash Rawat
Designation: Deputy Secretary to
Government
Date: 2025.06.07 10:30:29 IST
Reason: Approved